

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्ति/45002/2017-18/14 दिनांक 16 मार्च 2017 द्वारा श्री रामभरोसी अग्रवाल, (जन्मतिथि 26.04.57) सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर बानसूर, अलवर के सेवानिवृत्ति आदेश प्रसारित किये गये थे। विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/विजांच/5000(04)/2017/115 दिनांक 24.02.2017 में वर्णितानुसार तत्समय इनके विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी। उक्त विभागीय कार्यवाही आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि0जांच/11106/R-257/2017/582-584 दिनांक 21.12.2020 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

अतः श्री रामभरोसी अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाजीपुर, बानसूर जिला अलवर के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक—

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2020-21/ दिनांक : 24/02/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय जयपुर।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, अलवर।
- 03 संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 04 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अलवर।
- 05 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 06 श्री रामभरोसी अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाजीपुर, बानसूर, अलवर।
- 07 रक्षित/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)